

MINUTES OF 29th MEETING OF THE STATE ADVISORY COMMITTEE

(Through Video Conferencing)

Day/Date: Thursday, 17.02.2022

In pursuance to the provisions under Section 87 of the Electricity Act' 2003, vide notification dated 07.01.2022, State Advisory Committee (SAC) consisting of members representing the interest of Commerce, industry, transport, agriculture, labour, NGO and academic and research bodies has been reconstituted by the Commission.

29th meeting of the SAC was held on 17.02.2022 through video conferencing. A list of participants is annexed **(Annexure 1)**.

Hon'ble Chairman welcomed all the participants. Thereafter, Secretary MPERC through a brief presentation apprised about the objectives of State Advisory Committee under the provision of Section 88 of the Electricity Act' 2003. He informed about the amendments/ revisions made by the Commission in various Regulations to align them with the provisions under Electricity (Right of Consumers) Rules, 2020 notified by the Central Government on 31.12.2020. The status of various tariff orders/ true-up orders in respect of DISCOMS, MP Power Transmission Co. Ltd and Generating Companies issued by the Commission was also informed by him. He invited the members to provide their valuable suggestions on the objectives enshrined in Section 88 of the Electricity Act' 2003.

The suggestions given by the SAC Members representing various areas/ categories mentioned in Annexure-1 are summarised below:

Industry

The members representing industrial category have broadly submitted the following:

- The Distribution loss level of East & Central Discoms is high as compared to West Discom. Therefore, the East & Central Discoms should also make all out efforts to reduce their Distribution loss level in a time bound manner.
- Distribution Companies should continue existing Rebate for HT industrial consumers including Captive & open access consumers for next 5 year period instead of one year period since State has surplus power.
- There is a global demand for Renewable power, therefore, export oriented

industries need to improve their ranking in contributing sustainable development by purchasing Green power. In light of the above, green power may be supplied to desirous consumers by Distribution Companies after charging certain premium and providing Renewable Energy Certificate, as prevalent in the state of Maharashtra and Karnataka.

- Earlier Discoms used to provide comments on the objections raised by the stakeholders before the Public Hearing. This practice needs to be restarted.
- The requisite infrastructure to cope up increase in sales/ demand is already in place since the new consumers pay supply affording charges to add new assets towards infrastructure development cost. In view of above, it was suggested that fixed charges in tariff should not be increased and only variable charges may only be increased due to rise in power purchase cost.
- Regular bill and Arrear bill due to audit demand be provided to consumers separately so that consumers can pay their regular bill in timely manner and without any default while disputed arrears bill can be paid subsequently after resolution of grievance of the consumer. For audit recovery of previous period, no surcharge should be levied as audit demand was raised for first time.
- There is difference of nearly 40 to 45 % between procurement and sale price of power due to various reasons such as distribution losses and administrative cost etc. It was suggested that efforts be made by Discoms to minimise this gap.
- In order to promote industries in rural areas, concessions in tariff be provided to industries situated in rural areas irrespective of the fact that power is supplied under urban discipline to these industries. It is suggested that 24X7 power be supplied to urban and rural industries without any discrimination.
- Looking to energy surplus in the State, the proposal of Discoms for levying penalty at 1.3 times the tariff for energy charges for consumption corresponding to excess demand in case maximum demand recorded exceeds 120% of contract demand, be not considered.
- Minimum charges are removed in the Regulations so it should not be levied in tariff.
- Cross subsidy on industrial tariff be reduced and be brought within the permissible range as specified in the Tariff Policy.
- It is seen that Load factor of MSME and small consumers at 11KV voltage level

hardly reaches upto 50% and normally it remains in the range of 5% to 35%. Therefore, such consumers are unable to avail the benefit of concessional energy charges for consumption in excess of 50% load factor. It was suggested that another category for Load factor above 30% be introduced in addition to Load factor above 50% so that per unit difference of energy charges for such consumers may be minimised.

- There is delay of three to four months in providing new power connections to LT industrial connections in industrial area of Mandideep on the pretext of requirement of new transformers to be installed by consumers causing revenue loss to Discoms. Such situation could be avoided by providing time line in Regulations to be adhered to by Discom officials.
- Technical and Commercial losses be segregated by Discoms and a road map maybe provided in this regard. It was also suggested that support of some consultants may also be taken in this regard.
- Because of 5 to 6 types of rebates in the tariff, Discoms need to upgrade their billing software so that in such cases need for manual adjustment may be avoided.

Agriculture

The members representing agricultural category have broadly submitted the following:-

- Agricultural DTRs are poorly maintained. Adequate protections such as DO fuse are not provided in rural area causing overloading and burning of such DTRs which in turn resulted in overloading on nearby transformers.
- Poor quality cables, poles and other material are used by contractors due to which frequent interruptions/ trippings take place.
Efforts should be made to convert temporary agricultural connections to permanent connections.
- It was suggested that "In swayam ka Transformer scheme", contribution made by agricultural consumers should be returned through adjustment in their electricity bills. Further, "Anudan Yojana" should be restarted to avoid overloading of DTRs. Due to overloading, failure of equipment/ transformers occur.
- Declared 10 hours of power supply is not being provided to agricultural connections as there are interruptions for one to two hours due to maintenance faults etc.

Commerce

The members representing commerce category have broadly submitted the following:

- In view of the voluminous Retail supply tariff petition filed by Discom, it is suggested that 21 days are not sufficient and at least 30 days should be provided for comments by stakeholders.
- Uninterrupted power supply should be ensured by Discoms failing which provision for compensation be provided.
- It was suggested that tariff rise @8.7% proposed by Discoms should not be considered and company may be directed to improve their operational efficiency.
- MoD regulations/ power procurement Guidelines with the objectives to optimize the power purchase cost may be framed. For short term, it was suggested to utilize the market to sell the surplus and replace the costlier power with cheaper power available in the market. It was also suggested that instead of Banking, market can be used for sell and buy of electricity. For medium term/ Long term, it is suggested to rationalize the long term contracts.

Labour

The member representing this category has broadly submitted the following:

- Status of compliance be sought in regard to Commission's directive to Distribution Companies of State for depositing fund into Pension Trust allowed by the Commission

NGO

The members representing this category have broadly submitted the following:

- It is observed that domestic consumers could not register their complaints conveniently through Toll free numbers provided by Discoms and therefore, the Discoms be directed for further improvement in their system through providing more lines etc.
- MSME Women entrepreneur who could not start their small industrial units during Covid period were adversely hit by paying minimum charges of Electricity. They should be provided with concessional tariff.
- High trippings in Richai Industrial Area, Jabalpur.

Academic and Research bodies

The members represent academic and research institutions have broadly submitted the following:

- In regard to composition of contracted power as provided in Retail supply tariff petition for FY22-23 to FY26-27, it is observed that Renewable power projections for State remain static in next 5 years which needs to be looked into particularly in reference to growing aspiration of state and Nation level
- It was suggested that agenda item be conveyed to SAC members in advance including specific issues to be discussed during forthcoming SAC meeting so that informed opinion could be made.

Dr. Prabin Kumar Panigrahi of IIM Indore and Shri B.A. Sawale of Central Power Research Institute, Bhopal stated that they would submit their suggestions through mail in due course.

Hon'ble Chairman summarized the proceeding and stated that efforts have been made to bring in eminent institutions namely IIM Indore, NLUI Bhopal, Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal and Indian Energy Exchange, New Delhi in the present reconstituted SAC to benefit from their expert advise for improvement in State Power sector.

While stating that the suggestions of SAC members are well taken, he informed that the Commission has started frequent meetings with Discoms to review their operational performance on various parameters. The Commission has also appointed consultants to analyse various issues including power purchase methodology so that appropriate measures can be taken for reduction in losses and power purchase cost.

Hon'ble Chairman suggested all the members may provide their suggestions keeping in view the interests of the sector including the approach towards Consumer literacy and Consumer education. He informed that the Commission is already working to review Regulations to ensure that provisions under various Regulations are relevant in the present context.

Meeting ended with a vote of thanks to all participants.

Annexure - I

S.No.	Name	Address	Category
1	Shri S.P.S. Parihar	Chairman, MPERC	Ex. Officio Member
2	Shri Mukul Dhariwal	Member, MPERC	Ex. Officio Member
3	Shri Gopal Shrivastava	Member (Law), MPERC	Ex. Officio Member
4	Shri Faiz Ahmed Kidwai	Principal Secretary Food, Civil Supplies and Consumers Protection, Govt. of M.P	Ex. Officio Member
5	Shri Mahendra P. Khante	Vice President (E&I), Vardhman Fabrics, Vill. Pillikarar, Talpura, Rehti Road, Teh. Budhni, District-Sehore (M.P.) - 466445	Industry
6	Shri Prahlad Singh	Village Nonia Kalan, Post Singod, Tahsil Panagar, Distt. Jabalpur(M.P)	Agriculture
7	Shri Dayaram Patidar	Deputy Chairman, Bharatiya Kisan Sangh, Malwa Region, Gram- Budiyakhedi, Post- Sidhana, Tehsil Manawar, Distt. Dhar (M.P.) - 454446	Agriculture
8	Shri K.K. Tiwari	Madhya Pradesh Bijli Karmchari Mahasangh, Pardeshipura, Indore (M.P.) - 452011	Labour
9	Ms. Smita Saxena	Chairperson, Asha Smita Foundation, C-99, New Minal Residency, District Bhopal (M.P.) - 462023	NGO
10	Smt. Archana Bhatnagar	Madhya Pradesh Association of Women & Entrepreneur, 433/2, Napier Town, Howbag Railway Station Road, Near Mangni Hospital, Jabalpur (M.P.)- 462008	NGO
11	Shri B.A. Sawale	Director, Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023	Academic and Research bodies
12	Shri Vipin Kumar Jain	M.P. Laghu Udyog Sangh, E-2/30, Arera Colony, Mahavir Nagar, Bhopal (M.P.) - 462016	Industry
13	Shri C.B. Malpani	Secretary, Association of all industries, Mandideep, Raisen - 462046	Industry
14	Shri Rakesh Kumar Gaur	Gram Kulhada (Dolriya), District - Hoshangabad - 461116	Agriculture
15	Shri Ravi Gupta	445, KothwaliMiloniganj Jabalpur- 482002	Commerce
16	Shri S.N. Goyal,	Chairman & MD, Indian Energy Exchange (IEX) , Corporate office, Plot no. - C-001/A/1, 9 th floor, Max Towers, Sector 16B, Noida, (UP)-201301	Commerce
17	Dr.Prabin Kumar Panigrahi	Professor, Information Systems Area, Indian Institute of Management (IIM), Prabandh Shikhar, Rau-Pithampur Road, Indore (M.P.) - 453556	Academic
18	Shri Rahul Choudhari	Principal Advisor, (Center for Economic Sector), Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Sushasan Bhawan, Bhadbhada Chouraha, T.T. Nagar, Bhopal- 462003	Academic
19	Prof.(Dr.) Ghayur Alam	Senior Professor, National Law Institute University, Kerwa Dam Road, Bhopal - 462044	Academic

राज्य सलाहकार समिति की उनतीसवीं बैठक का कार्यवाही विवरण
(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

वार तिथि : गुरुवार, 17.02.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के उपबन्धों के अनुपालन में, आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, गैर-सरकारी संगठन (NGO) तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

राज्य सलाहकार समिति की उनतीसवीं बैठक दिनांक 17.02.2022 को 'विडियो कॉन्फ्रेंसिंग' के माध्यम से आयोजित की गई। सहभागियों की सूची अनुलग्नक-1 अनुसार संलग्न है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा समस्त सहभागियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात्, सचिव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सदस्यों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 के उपबन्ध के अन्तर्गत उल्लेखित राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। उनके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2020 को अधिसूचित किये गये विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020 के अन्तर्गत उपबन्धों से संरेखित किये जाने हेतु विभिन्न विनियमों में किये गये संशोधनों/पुनरीक्षणों के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने आयोग द्वारा प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिये जारी किये गये विभिन्न विद्युत-दर (टैरिफ) आदेशों/सत्यापन (True-up) आदेशों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया। उन्होंने सदस्यों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में संस्थापित किये गये उद्देश्यों के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया।

विभिन्न क्षेत्रों/श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों, जिनका उल्लेख अनुलग्नक-1 में किया गया है, द्वारा प्रस्तुत सुझावों को निम्नानुसार संक्षेपबद्ध किया गया है :

उद्योग

औद्योगिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये हैं :-

- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की तुलना में पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानि उच्च स्तर पर है। अतएव, पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भी समयबद्ध रीति के अनुरूप वितरण हानि के स्तर कम करने हेतु सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिए।
- चूंकि राज्य के पास अधिशेष (Surplus) विद्युत उपलब्ध है, अतएव वितरण कम्पनियों को, आबद्ध (केप्टिव) तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं सहित समस्त उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु विद्यमान छूट (रिबेट) एक वर्ष की अवधि के स्थान पर पांच वर्ष की अवधि हेतु जारी रखी जानी चाहिए।
- वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्तर पर मांग है। ऐसे में निर्यात अभिमुख उद्योगों को हरित ऊर्जा के क्रय द्वारा समावेशी विकास में अंशदान बाबत निरन्तर अपनी श्रेणी में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त वस्तुस्थिति के प्रकाश में, वितरण कम्पनियों द्वारा इच्छुक उपभोक्ताओं को निश्चित अधिमूल्य (प्रीमियम) प्रभार पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewal Energy Certificate) जारी कर हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है जैसा कि यह वर्तमान में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में प्रचलित है।
- पूर्व में विद्युत वितरण कम्पनियां सार्वजनिक सुनवाई से पूर्व हितधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर अपनी-अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करती थीं। यह परिपाटी पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।

- विक्रय/मांग में वृद्धि हेतु वांछित अधोसंरचना पूर्व से ही स्थापित है चूंकि नवीन उपभोक्ता अधोसंरचना विकास लागत हेतु नवीन परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाइ अफोर्डिंग चार्ज) का भुगतान करते हैं। उपरोक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह सुझाव दिया गया कि विद्युत-दर (टैरिफ) में स्थाई प्रभारों (fixed charges) में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए तथा विद्युत क्रय लागत में वृद्धि के कारण केवल परिवर्तनीय प्रभारों में ही वृद्धि की जानी चाहिए।
- उपभोक्ताओं को नियमित देयक (regular bill) तथा ऑडिट मांग के कारण बकाया राशि देयक (arrear bill) पृथक-पृथक जारी किये जाएं ताकि उपभोक्ता अपने नियमित देयकों का भुगतान समयबद्ध विधि द्वारा बिना किसी चूक किये कर सकें जबकि विवादित बकाया राशि देयकों का भुगतान उपभोक्ताओं की शिकायत के निराकरण पश्चात् किया जा सकता है। पूर्व अवधि की लेखापरीक्षण (ऑडिट) से संबंधित वसूली हेतु कोई अधिभार आरोपित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लेखा परीक्षण से संबंधित मांग प्रथम बार प्रस्तुत की जाती है।
- विभिन्न कारणों से, जैसे कि वितरण हानियों तथा प्रशासनिक लागत आदि के कारण विद्युत के अधिप्राप्ति (procurement) तथा विक्रय मूल्य (sale price) के मध्य लगभग 40 से 45 प्रतिशत का अन्तर है। यह सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस अन्तर को न्यूनतम करने हेतु प्रयास किये जाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों को विद्युत-दर (टैरिफ) में रियायत (concession) इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि इन उद्योगों को विद्युत की आपूर्ति शहरी व्यवस्था (discipline) के अधीन की जाती है, प्रदान की जाए। यह सुझाव दिया गया कि शहरी तथा ग्रामीण उद्योगों को बिना किसी भेद-भाव के 24 x 7 व्यवस्था द्वारा चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति की जाए।
- राज्य में ऊर्जा अधिशेष (energy surplus) की अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत वितरण कम्पनियों के इस प्रस्ताव पर विचार न किया जाए जिसके अन्तर्गत अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 120 प्रतिशत से अधिक होने पर आधिक्य मांग से तत्संबंधी विद्युत खपत पर ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) पर 1.3 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- विनियमों में न्यूनतम प्रभार हटा दिये गये हैं, अतएव ये विद्युत-दर (टैरिफ) में अधिरोपित न किये जाएं।
- औद्योगिक विद्युत-दर (टैरिफ) पर प्रतिराज्यानुदान (cross subsidy) में कमी की जाए तथा इसे टैरिफ नीति में निर्दिष्ट किये गये अनुरूप अनुज्ञेय सीमा के भीतर लाया जाए।
- यह पाया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा लघु उपभोक्ताओं का 11 केवी स्तर पर भार कारक (load factor) कदाचित ही 50 प्रतिशत तक पहुंच पाता है तथा यह सामान्यतः 5 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत रहता है। अतएव, ऐसे उपभोक्ताओं के लिये 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक विद्युत खपत हेतु रियायती ऊर्जा प्रभारों का प्रलाभ प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। अतः यह सुझाव दिया गया कि 50 प्रतिशत से अधिक भार कारक के अतिरिक्त 30 प्रतिशत से अधिक भार कारक हेतु एक अन्य श्रेणी बनाई जाए ताकि ऐसे उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभार के प्रति यूनिट अन्तर को न्यूनतम किया जा सके।
- मण्डीदीप के औद्योगिक क्षेत्र में निम्न दाब (LT) नवीन औद्योगिक संयोजन प्रदान करने हेतु उपभोक्ताओं हेतु आवश्यकतानुसार नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने पर उसे 3 से 4 माह का विलम्ब होता है जिसके कारण विद्युत वितरण कम्पनियों को राजस्व की हानि होती है। इस स्थिति को विनियमों में विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली समय सीमा का उचित प्रावधान कर टाला जा सकता है।
- विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को पृथक्कृत किया जाए तथा इस संबंध में एक मार्गदर्शिका जारी की जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि इस संबंध में कुछ परामर्शदाताओं से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- विद्युत-दर (टैरिफ) में पांच से छः प्रकारों की छूटों (रिबेट) के प्रचलित होने के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा बिलिंग साफ्टवेयर का उन्नयन (upgrade) किया जाए ताकि ऐसे प्रकरणों में मानवचालित समायोजन (manual adjustment) से बचा जा सके।

कृषि

कृषि श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये हैं :-

- कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों का रख-रखाव अत्यन्त असन्तोषजनक ढंग से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे कि 'DO फ्यूज' प्रदान नहीं किये जाते जो अतिभारण (ओवरलोडिंग) तथा ऐसे वितरण ट्रांसफार्मरों के जलने का निमित्त बनते हैं, एवं इसके उपरांत आसपास के ट्रांसफार्मरों को अतिभारित कर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
- यह भी पाया गया है कि ठेकेदारों द्वारा खराब गुणवत्ता की केबल्स, खम्भों तथा अन्य सामग्री की उपयोग किये जाने के कारण बारंबार विद्युत प्रदाय में व्यवधान/स्वविच्छेद (ट्रिपिंग) की आवृत्ति होती है।

अस्थायी कृषि संयोजनों को स्थायी कृषि संयोजनों में परिवर्तित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

- यह सुझाव दिया गया है कि "स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना" में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा किये गये अंशदान को उनके विद्युत देयकों में समायोजन के माध्यम से लौटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वितरण ट्रांसफार्मरों को अतिभारण (overloading) से बचाने हेतु "अनुदान योजना" को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। अतिभारण के कारण उपकरणों/ट्रांसफार्मरों के विफल होने की घटनाएं होती हैं।
- कृषि संयोजनों के लिये पूर्व में घोषित 10 घंटे की अवधि हेतु विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा विद्युत लाईनों में आने वाले दोष के संधारण के कारण भी विद्युत प्रदाय व्यवस्था में एक से दो घंटे का व्यवधान होता है।

वाणिज्य

वाणिज्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये हैं :-

- विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दाखिल की गई अति विस्तृत खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (Retail Supply Tariff) याचिका के दृष्टिगत हितधारकों को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु दी गई 21 दिवस की अवधि अपर्याप्त है, अतएव सुझाव दिया गया कि इस हेतु कम से कम 30 दिवस की अवधि प्रदान की जानी चाहिए।
- विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा बाधारहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाना चाहिए, चूक होने पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत दरों में 8.7 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित की गई वृद्धि पर विचार न करते हुये, कम्पनियों को उनकी परिचालन दक्षता में सुधार लाये जाने बावत निर्देशित किया जाए।
- विद्युत क्रय लागत को अनुकूलतम बनाये जाने के उद्देश्य के आधार पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण (MOD) विनियमों/विद्युत अधिप्राप्ति दिशा-निर्देशों की संरचना की जानी चाहिए। लघु अवधि हेतु सुझाव दिया गया कि अधिशेष ऊर्जा के विक्रय हेतु बाजार का उपयोग किया जाए तथा वर्तमान में उपलब्ध मंहगी विद्युत को बाजार में उपलब्ध सस्ती विद्युत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि अधिकोषण (बैंकिंग) के स्थान पर बाजार का उपयोग विद्युत के विक्रय एवं क्रय हेतु भी किया जा सकता है। मध्यम अवधि/दीर्घ अवधि हेतु यह सुझाव दिया गया कि दीर्घ-अवधि संविदाओं को तर्कसंगत बनाया जाए।

श्रम

इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी द्वारा मोटे तौर पर निम्न बिन्दु प्रस्तुत किया गया है :-

- आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई निधि को राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पेंशन न्यास (ट्रस्ट) में जमा किये जाने के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों के सम्बंध में अनुपालन की अद्यतन स्थिति ज्ञात की जावे।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये हैं :-

- यह पाया गया है कि घरेलू उपभोक्ता अपनी शिकायतें विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई दूरभाष निःशुल्क सेवा (Toll free numbers) के माध्यम से सुविधाजनक ढंग से पंजीकृत कराने में असमर्थ रहते हैं। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियों को और अधिक लाइनों की सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रणाली में और अधिक सुधार लाये जाने बावत दिशा-निर्देश जारी किये जाएं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से संबंधित महिला उद्यमी जो कोविड अवधि के दौरान अपनी लघु औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ नहीं कर पाईं, उनके द्वारा विद्युत का न्यूनतम प्रभारों का भुगतान किये जाने से उनके आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्हें रियायती विद्युत-दर (Concessional Tariff) पर विद्युत उपलब्ध कराई जाए।
- जबलपुर स्थित रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में स्वविच्छेदन (tripping) की दर अत्यधिक है।

शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकाय

शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये हैं :-

- वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर याचिका (Retail Supply Tariff Petition) में प्रदत्त संविदाकृत विद्युत के संयोजन बाबत यह

पाया गया है कि राज्य हेतु अगले पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेपण स्थिर रहेंगे जिस पर विशेष रूप से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई आकांक्षाओं के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- यह सुझाव दिया गया कि आगामी राज्य सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा हेतु राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को विषयसूची (agenda) से संबंधित विषयवस्तु को, विशिष्ट विषयों को सम्मिलित करते हुए, अग्रिम रूप से सूचित किया जाए ताकि इनके बारे में सुविज्ञ अभिमत निर्मित किया जा सके।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान (IIM) इन्दौर के डॉ. प्रवीन कुमार पानिग्रही तथा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था (CPRI) भोपाल के श्री बी.ए. सावले द्वारा सूचित किया गया कि वे शीघ्र ही डाक के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई की संक्षेपिका प्रस्तुत की गई तथा अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा राज्य विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने हेतु विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से लाभान्वित होने की दृष्टि से वर्तमान पुनर्गठित राज्य सलाहकार समिति के अन्तर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इन्दौर, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (NLIU) भोपाल, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल तथा इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

यह अवगत कराते हुए कि राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों को ग्राह्य किया जा रहा है, उनके द्वारा सूचित किया गया कि विभिन्न मानदण्डों पर प्रदर्शन निष्पादन की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ निरन्तर बैठकों का क्रम प्रारंभ किया गया है। विभिन्न विषयों के विश्लेषण हेतु जिनमें विद्युत क्रय क्रियाविधि भी सम्मिलित है आयोग द्वारा परामर्शियों की नियुक्ति भी की गई है ताकि हानियों तथा विद्युत क्रय लागत में कमी लाने हेतु उचित उपाय किये जा सकें।

सरल क्रमांक	नाम	पता	श्रेणी
1	श्री एस. पी. एस परिहार	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
2	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
3	श्री गोपाल श्रीवास्तव	सदस्य, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
4	श्री फैज़ अहमद किदवई	प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र. शासन	पदेन सदस्य
5	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पीलीकरार, तालपुरा रेहटी) रोड, तह. बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.)-466445	उद्योग
6	श्री प्रहलाद सिंह	ग्राम नोनिया कला, पोस्ट सिंगोड़ तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.)	कृषि
7	श्री दयाराम पाटीदार	उप सभापति, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम-बुदियाखेड़ी, पोस्ट- सिधाना, तह. मनावर जिला-धार (म.प्र.) - 454446	कृषि
8	श्री के.के. तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, 1030/10, नन्द नगर, इन्दौर (म.प्र.) - 452011	श्रमिक/मजदूर
9	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउन्डेशन, सी-199. न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला- भोपाल (म.प्र.) - 462023	गैर-सरकारी संगठन
10	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वीमेन एंड इण्टरप्रेनर, 433/2, नेपियर टाउन, हाउबाग रेलवे स्टेशन रोड, मंगनी हॉस्पिटल के समीप, जबलपुर (म.प्र.) - 462008	गैर-सरकारी संगठन
11	श्री बी.ए. सावले	निदेशक, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) - 462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
12	श्री विपिन कुमार जैन	मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरेश कालोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.) - 462016	उद्योग

13	श्री सी.बी मालपानी	सचिव, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज मण्डीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.) - 462046	उद्योग
14	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुलहाड़ा (डोलरिया) जिला होशंगाबाद (म.प्र.) - 461116	कृषि
15	श्री रवि गुप्ता	445, कोतवाली मिलोनीगंज, जबलपुर-482002	वाणिज्य
16	श्री एस.एन. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस, प्लांट नं. सी-001/ए/1, 9 वी मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16 बी, नोएडा (उ.प्र.)-201301	वाणिज्य
17	डॉ. प्रबीन कुमार पानिग्रही	प्राध्यापक, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एरिया, भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ-पीथमपुर रोड, इन्दौर (म.प्र.) -453556	शैक्षणिक
18	श्री राहुल चौधरी	मुख्य सलाहकार, (सेन्टर फॉर इकोनोमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल-462003	शैक्षणिक
19	प्रो. (डॉ.) गयूर आलम	वरिष्ठ प्राध्यापक, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डैम रोड, भोपाल-462044	शैक्षणिक